न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2023 **दायर दिनांकः 30.06.2023**

उनवान

1. तोलाराम उर्फ कमलेश कुमार आयु 61 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू हाल मुकाम महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाडी कोटा (राज०) मो.नं. 9784719550

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 27.03.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 207 के ख0नं0 155 रकबा 0.90 है० कुल 1 किता का कुल रकबा 0.90 है० आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाडी कोटा (राज०) मे निवास करता हैं। जिसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में वादी का नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाडी कोटा में दर्ज हैं। जो वादी का सही नाम हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की फोटो प्रतिया व ग्राम पंचायत आटोन का प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई हैं। जिसका फोती

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादी का बोलता नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया था जो वादी का गलत नाम हैं। जबकि वादी का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित दस्तावेजो मे दर्ज नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योंजना दादाबाडी कोटा दर्ज हैं। जो वादी का सही नाम व पता हैं। जबकि तोलाराम पुत्र मदनलाल व कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी पर वादी का गलत नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल दर्ज होने व सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल दर्ज होने से वादी को आराजी का कृषि विकास कार्य करवाने व के.सी. सी. ऋण व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा हैं। जिससे वादी को अपरिमित क्षति हो रही हैं। और अपने हक अधिकारो से वंचित होना पड रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक के स्थान पर कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं हैं। यदि वादी का नाम दुरूस्त कर तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योंजना दादाबाडी कोटा दर्ज नही किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी। अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योंजना दादाबाडी कोटा दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। यह कि वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2023 को प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी का आवेदन करने पर व अन्तिम बार नाम गलत दर्ज होने से आवेदन निरस्त होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद ग्रस्त आराजी व पक्षकार तहसील अटरू क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क प्र[illegible] हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना [illegible] योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावेंः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाडी कोटा दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि बिंदु संख्या 1 के क्रम में यह है कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट ग्राम माल आटोन की खाता संख्या 207 के खसरा नम्बर 155 रकबा 0.90 हे० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.90 हे. आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज है। बिंदु संख्या 2 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 3 के क्रम में यह है कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट ग्राम आटोन में मजमे आम में पहुंचकर जानकारी की गई तो ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि तोलाराम पुत्र मदनलाल व कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल दोनों एक ही व्यक्ति है। वाद पत्र के मद न० 1 में वर्णित आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई है जिसका फोती नामांतरण दर्ज करवाते समय वादी का बोलता नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया गया था जो गलत नाम है जबकि वादी का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित दस्तावेजों में दर्ज नाम कमलेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाड़ी दर्ज है जो वादी का सही नाम एवं पता है। बिदु संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 8 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 9 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 10 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

साक्ष्यवादी के तहत pw 1 कमलेश कुमार मंडावत पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा व pw 2 रमेशचन्द्र मंडावत पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी महावीर प्रताप नगर जयपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी pw 1 ने बताया कि ग्राम एवं माल आटोन के खाता संख्या 207 के ख0नं0 155 रकबा 0.90 है० कुल 1 किता का कुल रकबा 0.90 है० आराजी मेने खरीद की थी जिसमें मेरा नाम तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज है। मेरा नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

तोलाराम व कमलेश कुमार दोनो ही है। मेरे सरकारी रिकार्ड नोकरी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड में मेरा नाम कमलेश कुमार मंडावत दर्ज है इसलिए मैं राजस्व रिकार्ड में भी नाम दुरूस्त करवाकर तोलाराम के स्थान पर कमलेश कुमार मण्डावत दर्ज करवाना चाहता हुॅ। साक्ष्यवादी pw 2 ने बताया कि ग्राम एवं माल आटोन के खाता संख्या I 207 के ख0नं0 155 रकबा 0.90 है० कुल 1 किता का कुल रकबा 0.90 है० आराजी भूमि मेरे बडे भाई कमलेश कुमार उर्फ तोलाराम के नाम खरीद की थी। मेरे भाई तोलाराम को कमलेश कुमार व तोलाराम दोनो नाम से जाना जाता है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में मेरे भाई का सही नाम तोलाराम के स्थान पर कमलेश कुमार मंडावत दर्ज किया जावें।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आटोन की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073—2076 के ख0नं0 155 रकबा 0.90 है0 आराजी वादी तोलाराम के दर्ज खाता स्थित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन खाता संख्या 207 सम्वत 2073—2076, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत आटोन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड व पेंशनर्स पहचान पत्र आदि का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों व दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 207 का खसरा न. 155 का रकबा 0.90 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.90 है0 आराजी में खातेदार तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर कमलेश कुमार उर्फ तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 207 का खसरा न. 155 का रकबा 0.90 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.90 है0 आराजी में खातेदार तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर कमलेश कुमार उर्फ तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने

के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 67/2023

उनवान

1. तोलाराम उर्फ कमलेश कुमार आयु 61 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन तहसील अटरू हाल मुकाम महावीर नगर विस्तार योजना दादाबाडी कोटा (राज०) मो.नं. 9784719550

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 207 का खसरा न. 155 का रकबा 0.90 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.90 है0 आराजी में खातेदार तोलाराम पुत्र मदनलाल के स्थान पर कमलेश कुमार उर्फ तोलाराम पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....र...................... मुबालिक ....र................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......र.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....र.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

	मुदई		**मुदालयह**
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:47:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)